## न्यायालय– सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, पाली

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | – | रजनी मीणा, आर.जे.एस. |
| दीवानी विविध प्रकरण संख्या | – | 24 / 2020 |

प्रदीप मोहन सिंह पुत्र मोहनसिंह, आयु 55 वर्ष, निवासी लौटोती, तहसील जैतारण, जिला पाली।

**—— प्रार्थी**

**बनाम**

1– कल्याण सिंह पुत्र बालसिंह,
2– युद्धवीर सिंह पुत्र कल्याणसिंह
निवासीगण–लौटोती, तहसील जैतारण, जिला पाली।

**—— अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश–39 नियम 1 व 2 सपठित धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता।**

उपस्थित :–
1– विद्वान अधिवक्ता श्री चुतराराम भाटी, वास्ते–प्रार्थी।
2– विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, वास्ते अप्रार्थीगण।

**–: आदेश :–** **दिनांक : 14.07.2022**

हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.06.2020 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि आबादी ग्राम लौटोती में उदावतों की पोल के अंदर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के रहवासी मकान आये हुये हैं तथा इनके अतिरिक्त भी उदावतों की पोल में कुल 25–30 रहवासी मकान आये हुये हैं। प्रार्थी के रहवासी पुश्तैनी मकान के लगते ही पूर्व की तरफ प्रार्थी का पुश्तैनी प्लॉट 47 गुणा 18 फीट का आया हुआ है, जो प्रार्थी की दादी सायर कंवर द्वारा प्रार्थी की माता राजकंवर के नाम दिनांक 01.08.1994 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत किया, तब से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त प्लॉट में एक पुरानी साल / कमरा व पड़वा बना हुआ था, जो पुराना होने से गिर गया, जिसकी दीवारें मौके पर बनी हुई है। प्रार्थी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में राजपत्रित अधिकारी है एवं अवकाश पर होकर उक्त प्लॉट पर चार दीवारी का निर्माण करवाने के लिये आया हुआ है। दिनांक 23.06.2020 को नींव खुदवाना प्रारम्भ किया व 40 फीट नींव खुदवाई, तो शाम को अप्रार्थीगण मौके पर आये व नींव खोदने से मना किया व नहीं मानने पर गालियां देते हुये नींच में पत्थर व रेत डाल दी तथा ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थी के

जोधपुर जाने पर उक्त प्लॉट पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर लेंगे, जिसका उन्हें कोई कानूनन हक अधिकार नहीं है। उक्त घटना के संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसके प्लॉट से बेदखल करने पर आमादा है। यदि उक्त सम्पत्ति से प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। अंत में प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के निजी मालिकाना प्लॉट पर अप्रार्थीगण को कब्जा करने व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोका जावे एवं प्रार्थी अपने उक्त प्लॉट में कोई निर्माण करे तो अप्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्य, नौकर, चाकर, हाली, एजेंट आदि कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावे तथा दौराने प्रार्थना पत्र मौका स्थिति में कोई परिवर्तन करे तो पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र को मनगढंत एवं मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत करना कथित करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये कथन किया कि पक्षकारान ग्राम लौटोती के ही मूल निवासी हैं, अप्रार्थीगण का पुश्तैनी रहवासीय मकान पट्टा सुर आया हुआ है, जिनके पुश्तैनी मकान का ग्राम पंचायत लौटोती द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 की पत्नी श्रीमती गोपाल कंवर के नाम जारी किया गया, जो दिनांक 11.08.2011 को रजिस्टर्ड करवाया गया। प्रार्थी का पुश्तैनी प्लॉट 47 गुणा 18 फीट का मौके पर नहीं आया हुआ है, उक्त प्लॉट सवाईसिंह, गोविन्दसिंह, कालूसिंह, मोहनसिंह के कब्जे का है। वसीयतकर्ता श्रीमती सायर कंवर पत्नी किशोर अवश्य रूप से ना आलौदा फौत हुये थे। किशोर सिह की चल अचल सम्पत्ति रणजीत सिंह के चारों पुत्रों में बराबर बराबर बांट ली गई थी। इस प्रकार विवादित प्लॉट मौके पर 47 गुणा 18 फीट का नहीं है तथा दिनांक 01.08.1994 को वसीयत रजिस्टर्ड करवाई गई जो दस्तावेज फर्जी है। श्रीमती सायर कंवर पढीलिखी थी व हस्ताक्षर करती थी, श्रीमती सायर कंवर ने कभी भी अंगुठे का निशान नहीं करती थी। प्रार्थी उक्त विवादित प्लॉट का एकमात्र मालिकाना हक नहीं रखता है, जबकि चार हिस्सों में बंटा हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी है, जो जोधपुर में तैयार करवाया गया दस्तावेज है, बल्कि उप पंजीयन अधिकारी का कार्यालय जैतारण में भी है, जोधपुर पंजीयन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रीमती सायर कंवर अपने जीवनकाल में कभी भी जोधपुर में नहीं रही तथा वह पढना लिखना जानती थी। प्रार्थी, अप्रार्थी पक्ष के पट्टा सुद भूमि में कच्ची दीवार तोड कर नींव खुदवाने लगा तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को नींव खोदने से मना कर दिया, उक्त तथ्य प्रार्थी ने छुपाया है तथा प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा कथित साईज का प्लॉट मौके पर नहीं है एवं ना ही उक्त विवादित प्लॉट पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार है। रणजीत

सिंह के वंशज ही उक्त विवादित प्लॉट पर मालिकाना हक हकूक रखते हैं। दिनांक 23.06.2020 को व उसके बाद अप्रार्थीगण, प्रार्थी से कभी नहीं मिले एवं ना ही किसी प्रकार की धमकी दी। इस प्रकार प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा कब्जे के अभाव में भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर, खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी की ओर से जवाब–उल–जवाब पेश कर अप्रार्थी पक्ष क ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को गलत आधारों पर प्रस्तुत करने का कथन करते हुये, कथन किये हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा गलत पेश किया गया है। अप्रार्थी दिनांक 27.06.2011 को ग्राम पंचायत लौटोती का सरपंच था एवं अपनी पत्नी गोपाल कंवर के नाम गलत नाप का पट्टा बनाया। अप्रार्थी ने सवाईसिंह, गोविन्दसिंह, कालूसिंह, मोहनसिंह का हिस्सा बताया गया है, जो गलत है, क्योंकि उक्त प्लॉट बाबत इन चारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, केवल मात्र सायर कंवर का पुश्तैनी मिल्कियत का होने से रामकंवर के नाम वसीयत किया था, तब से प्रार्थी मौके पर काबिज है, सायरकंवर पढीलिखी नहीं होने से वसीयत पर अगुष्ठ निशान किये हैं। अंत में जवाब–उल–जवाब रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :–

**1. प्रथमदृष्टया मामला।**
**2. सुविधा का सन्तुलन।**
**3. अपूरणीय क्षति।**

**<u>1. प्रथमदृष्टया मामला</u> :–**

उक्त बिन्दु के संबंध में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्रतापूर्ण अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण एक ही ग्राम के होकर पडौसी हैं। प्रार्थी का यह कहना रहा है कि उक्त सम्पत्ति पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा प्रार्थी उक्त विवादित सम्पत्ति पर वसीयत दिनांक 01.08.1994 के आधार पर प्रार्थी की माता के नाम होने से 1994 से ही काबिज है। जबकि अप्रार्थीपक्ष का कहना है कि उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का किसी प्रकार का

कोई कब्जा नहीं है तथा उक्त विवादित सम्पत्ति सवाईसिंह, गोविन्दसिंह, कालूसिंह, मोहनसिंह के कब्जे की है तथा प्रार्थी का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा कथित वसीयत को भी फर्जी दस्तावेज बताया गया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण एक ही गांव के होकर पडौसी हैं तथा उक्त प्लॉट प्रार्थी की माता को जरिये वसीतय प्राप्त हुआ था, तब से प्रार्थी विवादित प्लॉट पर काबिज है। जबकि अप्रार्थी पक्ष का कथन कि विवादित सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है तथा विवादित सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है, चूंकि उक्त विवादित सम्पत्ति के संबंध मे अप्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि विवादित सम्पत्ति/प्लॉट कथित साईज का वर्तमान में मौजूद ही नहीं है तथा उक्त चारों व्यक्तियों सवाईसिंह, गोविन्दसिंह, कालूसिंह, मोहनसिंह के बंट में आया हुआ है।, जिससे विवादित सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है, यह प्रश्न साक्ष्य का मोहताज है जिसे मूल वाद में साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् ही तय किया जा सकता है। चूंकि प्राथी का उक्त सम्पत्ति पर काबिज होने का कथन किया है, ऐसे में अप्रार्थी पक्ष को विवादित सम्पत्ति से प्रार्थी को बेदखल करने का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रथमदृष्टया मामले का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

## 2. सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दु परस्पर संबंधित होने के कारण सम्मिलित रूप से विचारित किये जा रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण एक ही गांव के होकर पडोसी हैं, यदि अप्रार्थी पक्ष वाद के विचारण के दौरान विवादित सम्पत्ति का क्षति कारित की गई तो इससे वाद बहुलता व कानूनी जटिलताएं भी उत्पन्न होगी साथ ही प्रार्थी को अधिक असुविधा व क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में पूर्ववर्ती चरणों में जो विवेचन किया गया है, उसके अनुसरण में उक्त दोनों बिन्दु भी संपत्ति के संरक्षण एवं भविष्यवर्ती विधिक जटिलताओं की उत्पत्ति को निवारित करने के आशय से निम्नानुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाते है।

उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रथम दृष्टया मामलें का बिन्दु, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना उचित होगा।

## आदेश

परिणामतः प्रदीपमोहन सिंह पुत्र मोहनसिंह द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर मूल वाद में गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना उभयपक्षकारान को ता–फैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति में कोई निर्माण कार्य, तोड़फोड़ इत्यादि न करे, ना ही करावे, कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त संपत्ति की मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

हस्तगत प्रार्थना–पत्र का व्यय मूल वाद के निस्तारण के आधार पर निर्भर होगा।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट, जैतारण, पाली

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट, जैतारण, पाली